सं0 स0 14/एम–10–100/2006

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष में पूर्व से प्रावधानित राशि में वृद्धि करने एवं अधिसूचित रोगों के अलावे अन्य रोगों को शामिल करने के संबंध में।

सरकार ने मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के नाम से एक चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया है। सरकार द्वारा राज्य के वैसे नागरिको जो गरीबी रेखा से उपर है परन्तु एक लाख तक वार्षिक आय है, को असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान की सुविधा प्रदत्त है।

2. उक्त कोष से पूर्व में निर्धारित राशि को बढ़ाने एवं कतिपय अन्य रोगो को शामिल करने एवं उनके लिए अनुदान निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। इन्हीं तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए ''राज्यस्तरीय चिकित्सा पर्षद'' की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–2353(14) दिनांक–12.09.06 द्वारा पूर्व अधिसूचित रोगों के अतिरिक्त अन्य रोगों को शामिल करने एवं पूर्व अधिसूचित राशि में निम्न्वत वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

क्र0	रोगों का नाम		अनुदान की राशि रूपये में
(1)	(2)		(3)
1.	कैंसर	शल्य चिकित्सा सहित राज्य के अंदर	Rs 80,000/–
		शल्य चिकित्सा रहित राज्य के अंदर	Rs 60,000/–
		शल्य चिकित्सा सहित राज्य के बाहर	Rs 1,00,000/–
		शल्य चिकित्सा रहित राज्य के बाहर	Rs 80,000/–
2.	हृदय रोग	MVR	Rs 1,25,000/–
		AVR	Rs 1,25,000/–
		DVR	Rs 1,60,000/–
		PTCA	Rs 1,25,000/–
		CARDIAC CONDUIT REPAIR	Rs 1,50,000/–
		VSD	Rs 70,000/–
		ASD	Rs 70,000/–
		PDA	Rs 50,000/–
		TOF	Rs 1,50,000/–
		PACE MAKER	Rs 85,000/–
		LAMYXOMA/OMV	Rs 1,00,000/–
		CABG	Rs 1,50,000/–
		BMV (Baloon mitral Valvotomy)	Rs 50,000/–
3.	एड्स रोग		Rs 1,00,000/–
4	ब्रेन रोग	लघु शल्य क्रिया	Rs 50,000/–
		वृहत शल्य क्रिया	Rs 2,50,000/–
5	नेत्र रोग (सर्जरी)		Catract Rs 15,000/– Retena Rs 50,000/–
	स्पाईनल सर्जरी		Rs 1,50,000/–
	मेजर वासकुलर सर्जरी		Rs 2,00,000/–

8.	गुर्दा रोग	गुर्दा प्रत्यारोपण	Rs 2,50,000/–
9.	कोकलियर इम्पलांट		Rs 6,50,000/–
10	आर्थोपेडिक	टोटल हीप रिपलेसमेन्ट	**Cemented Rs 1,00,000/–** **Un Cemented Rs 1,5 0,000/–**
		टोटल नी रिपलेसमेन्ट	Rs 1, 50,000/–
11	प्लास्टिक सर्जरी/एसिड एटैक से पीड़ितों		**Face Rs 1,50,000/–** **Other Part Rs 1,00,000/–**

कंडिका 10 एवं 11 पूर्व में संकल्प संख्या 1012(14) दिनांक 03.9.2014 द्वारा निर्गत है, के कंडिका 4(क) में अंकित राशि को इस हद तक संशोधित समक्षा जायेगा।

उपरोक्त रोगों से सम्बंधित चिकित्सा सभी सरकारी अस्पतालों एवं सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालो के लिए ही मान्य होगी।

3. उपर्युक्त सुविधा वैसे लोक उपक्रमों के कर्मियों को भी दी जा सकेगी, जो उपक्रम अकार्यरत हो या घाटे में हो या विघटन की प्रक्रिया में हो। वैसे कर्मी अपने उपक्रम के प्रबंध निदेशक के माध्यम से समिति को अपना आवेदन भेजेगें। उनके लिये आय सीमा की बाध्यता नही होगी।

4. **स्वीकृति की प्रकियाः–_ संकल्प सं0–2353(14) दिनांक–12.9.06 में निर्धारित प्रक्रिया लागू रहेगी।**

(i) समिति की बैठक प्रत्येक बुधवार के नियमित रूप से निदेशक प्रमुख, स्वा0 सेवायें, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में अपराहण 3:00 बजे होगी।

(ii) **स्वीकृत चिकित्सा अनुदान की राशि चेक के माध्यम से संबंधित संस्थान को भेजी जायेगी। स्वीकृत अनुदान की राशि संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उताराधिकारी को नही दी जायेगी। चिकित्सोपरान्त अनुदान की स्वीकृति/प्रतिपूर्ति का प्रावधान नही किया गया है।**

(iii) राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में निजी व्यवस्था द्वारा उपलब्ध पेड सुविधायें (डायलैसिस, सिटी स्कैन, एम आर आई, एक्स–रे एवं अन्य) विशेष परिस्थिति में मुफ्त दी जायेगी। राशि का भुगतान **रोगी कल्याण समिति** से किया जाऐगा जिसकी अधिकतम सीमा 2500 रू0 होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से एक मुश्त राशि समिति को उपलब्ध कराई जाऐगी।

(iv) रोग के लिये प्रावधानित राशि अथवा प्राक्कलित राशि दोनों में से जो कम होगा, वही अनुदान देय होगा।

(5) **स्वास्थ्य विभागीय संकल्प 2353(14) दिनांक–12.09.06 में प्रावधानित वार्षिक आय की सीमा एक लाख तक से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार तक होगा।**

अति विशेष मामलो में उपर्युक्त प्रावधानित राशि एवं अधिसूचित रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य विमारी में या प्रावधानित राशि से अधिक व्यय होने पर अथवा विशेष आकस्मिकता की स्थिति में निम्नानुसार राशि स्वीकृत करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है:–

(a)	मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित समिति को	:-प्रत्येक मामले में अधिकतम पचास हजार रू0 की अधिसीमा तक
(b)	उक्त समिति की अनुशंसा पर सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को	:-दो लाख रू0 की अधिसीमा तक।
(c)	उक्त समिति की अनुशंसा पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य को	:-पॉच लाख रू0 की अधिसीमा तक।
(d)	उक्त समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग की सहमति से	:-दस लाख रू0 की अधिसिमा तक।

इससे उपर की राशि की स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

6 **सिर्फ अति विशिष्ट मामलों में गंभीर/असाध्य रोगो/विशेष आकस्मिकता की स्थिति में एयर एबुंलेस की सुविधा प्राधिकृत चिकित्सक की अनुशंसा पर माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् दी जायेगी।**

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 752(14) पटना, दिनांक 26/6/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\rajeh kumar\sankalp\mukhyamantri chikitsa rahat kosh.doc